बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संचिका संख्या-5/केस01-105/2006- 58 / 01.8

श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा बोचहां, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर) के विरूद्ध तकनीकी परीक्षण कोषांग, मंत्रिमंडल पटना (निगरानी) विभाग के पत्रांक-1805 दिनांक-14.06.1990 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा बोचहां के रूप में श्री सिंह के द्वारा सम्यक् कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही के कारण सरकार को कुल 2,00,571/- (दो लाख पांच सौ एकहत्तर रूपये मात्र) रूपये की आर्थिक क्षति हुई है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-872 दिनांक-16.09.1996 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई। आरोप पर श्री सिंह का स्पष्टीकरण पत्रांक-शून्य दिनांक-24.10.1998 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा सरकार द्वारा की गई।

2. समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तथा इनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित एवं गंभीर प्रकृति के हैं। अतः गठित आरोप पत्र 'क' के आधार पर श्री सिंह के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 55 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

3. संचालित विभागीय कार्यवाही में जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह से राज्य सरकार को हुई कुल क्षति रूपये 1,41,128/- (एक लाख एकतालिस हजार एक सौ अठ्ठाईस रूपये मात्र) पाया गया, जिसके 50 प्रतिशत अर्थात रूपये 70,564/-(सत्तर हजार पांच सौ चौसठ रूपये मात्र) की वसूली उनसे किये जाने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिंह द्वारा सम्यक अवधि के भीतर कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरान्त श्री सिंह विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर विभागीय पत्रांक-280 दिनांक-02.11.2004 द्वारा कुल रूपये 70,564/-(सत्तर हजार पांच सौ चौसठ रूपये मात्र) की वसूली का दण्डादेश निर्गत किया गया।

4. उक्त दण्डादेश से संबंधित निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय पटना में श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर) द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-10614/ 2006 दायर किया

गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक-04.08.2014 को पारित न्यायादेश निम्न प्रकार है:-

"For the reasons recorded above, the impugned order dated 02.11.2004 (Annexure-12), and the impugned appellate order/communication dated 30.04.2005 (Annexure-15 to I.A. No. 4646 pf 2014), are hereby set aside and quashed. However, the respondents are given liberty to start a proceeding de novo from the stage of framing of charges within a period of three months form the date of receipt/production of a copy of this order."

5. सी0डब्लू0जे0जी0 सं0-10614/2006 में पारित न्यायदेश के आलोक में श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल प्रशाखा बोचहा, (संप्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता) के विरूद्ध निम्न स्तर का ब्रास स्ट्रेनर क्रय करने, सम्यक् कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने आदि प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत संकल्प ज्ञापांक-837 दिनांक-22.10.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई।

6. संस्थित विभागीय कार्यवाही के जांच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-76 दि0-29.04.15 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जांच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाया गया तथा विभागीय पत्रांक-401 दिनांक-06.07.2015 द्वारा आरोपित पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए प्रमाणित आरोप के आलोक में एक पक्ष के भीतर लिखित अभ्यावेदन (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित करने का अनुरोध किया गया। श्री सिंह ने पत्रांक-शून्य दिनांक-22.07.2015 द्वारा (द्वितीय कारण पृच्छा) समर्पित किया, जिसकी समीक्षा की गई तथा पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होते है।

7. इस बीच श्री सिंह दिनांक-31.05.2015 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के उपरान्त इनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही स्वत: बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 अन्तर्गत परिवर्तित समझे जाने संबंधी आदेश विभागीय पत्रांक-559 दिनांक-06.10.2015 द्वारा निर्गत किया गया किया गया।

8. वर्णित परिपेक्ष्य में पूरे मामले की सरकार द्वारा समीक्षा के उपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल प्रशाखा बोचहा, (सेवानिवृत्त सहायक अभियंता) जो सहायक अभियंता के पद से दिनांक-31.05.2015 को सेवा निवृत्त हो चुके है, के पेंशन से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 अन्तर्गत एक वर्ष के लिए 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. अतः श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर) को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- पेंशन से एक वर्ष के लिए 10% (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती।

10. उपर्युक्त कंडिका-9 में निहित शास्ति पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

01.8.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/केस01-105/2006- 585 पटना, दिनांक- 01.8.16

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.8.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक-5/केस01-105/2006- 585 पटना, दिनांक- 01.8.16

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंत्र/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री राधेश्याम सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रशाखा बोचहां, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, हाजीपुर) **वर्तमान पता-सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, पी0एच0ई0डी0 कॉलोनी, सिनेमा रोड, हाजीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.8.16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

spc order